भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1396
08.12.2015 को उत्तर के लिए

झील संरक्षण

1396. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड से पक्षियों हेतु वेल्लायानी ताजे पानी की झील के संरक्षण और आस-पास के धान के खेतों को जैव विविधता धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने क्षेत्र में विभिन्न पक्षियों और मछली प्रजातियों को चिन्हित करने के लिए जैव विविधता सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख) सरकार को केरल राज्य जैव-विविधता बोर्ड से राष्ट्रीय जलीय पारि-प्रणाली संरक्षण योजना (एनपीसीए) के अन्तर्गत पक्षियों हेतु वेल्लयानी ताजे पानी की झील के संरक्षण और आस-पास के धान के खेतों को जैव विविधता धरोहर घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों को अपने राज्यों में जैव विविधता के महत्व वाले क्षेत्रों को स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव-विविधता धरोहर स्थलों के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। केरल ने इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में ऐसे किसी स्थल को अभी तक अधिसूचित नहीं किया है।

(ग) और (घ) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने सूचना दी है कि उन्होंने अस्थामुडी झील तथा वेम्बानाड झील के नमभूमि पर्यावासों सहित केरल के विभिन्न भागों में प्राणी विविधता अध्ययन किए हैं। तथापि, जेडएसआई द्वारा वेल्लयानी झील की प्राणी विविधता संबंधी कोई मुख्य परियोजना शुरू नहीं की गई है।

******